

प्रेषक,

राम सिंह  
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 10 फरवरी, 2016

विषय- जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-80/XXXVI(1)/2015-139एक/2002 दिनांक 27-03-2015 के अनुक्रम में श्री राज्यपाल, जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के न्यायालय हेतु सृजित 09 अस्थायी संवर्गीय पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, वर्ष 2016-17 में दिनांक 01.03.2016 से दिनांक 28-02-2017 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त पदों का सृजन मूल रूप में शासनादेश सं0-38 एक(1)/न्याय विभाग/03 दिनांक 22.07.2003 के द्वारा किया गया है।

2- उक्त कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक के अनुदान सं0-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशनस न्यायालय-06-रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश उत्तर-प्रदेश शासन के वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-2574/दस-98-24(8) 92 लखनऊ, दिनांक 02 दिसम्बर 1998 सपठित सं0-ए-1270/76-दस दिनांक 20.07.1968 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 सं0-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 07.11.1995 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।


भवदीय

  
(राम सिंह,  
प्रमुख सचिव)

संख्या- 84 (XXXVI(1)/-139 एक/2002/तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2- जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 3- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल

  
(कहकशा खान)  
अपर सचिव

